न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 08/2014 दायरा दिनांक 29.04.2014

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

बबलू उर्फ श्रीकिशन पुत्र मदन जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला–बारां। **–अपी0**

बनाम

1. नारायणलाल पुत्र ओंकार जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।(मृतक)
1/1 चिरोजीलाल पुत्र नारायणलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
1/2 रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
1/3 मोहनसिंह पुत्र नारायणलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
1/4 कसूमल पुत्री नारायणलाल पत्नि भगवत जाति किराड निवासी हाल राजपुर तहसील शाहबाद जिला बारां।
1/5 रामनाथी पुत्री नारायणलाल जाति किराड निवासी हाल गदरेटा तहसील शाहबाद जिला बारां।
1/6 कुगरबाई बेवा नारायणलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. मांगीलाल पुत्र ओंकार जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।(मृतक)
2/1 कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
2/2 राकेश पुत्र मांगीलाल जाति किराड निवासी हाल पहाडी जागीर तहसील शाहबाद जिला बारां।
2/3 भबूती पुत्री मांगीलाल पत्नि जगदीश जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
2/4 भंवरी बेवा मांगीलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
3. रामचरण पुत्र ओंकार जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
4. रामजीलाल पुत्र ओंकार जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
5. जानकी पुत्री ओंकार पत्नि प्रेमचन्द जाति किराड निवासी बीलखेडामाल हाल रातईखुर्द तहसील शाहबाद जिला बारां।
6. गुलाबी पुत्री ओंकार पत्नि रामलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल हाल बैहटा तहसील शाहबाद जिला बारां।
7. कपूरी पुत्री ओंकार पत्नि ईश्वरलाल जाति किराड निवासी बीलखेडामाल हाल राजपुर तहसील शाहबाद जिला बारां।
8. काशी बेवा ओंकार जाति किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद जिला बारां।
9. कला पुत्री प्रसादी हाल पत्नि हजारीलाल जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहबाद जिला बारां।
10. धनवती पुत्री प्रसादी हाल पत्नि हरिचरण जाति किराड निवासी खैराई तहसील शाहबाद जिला बारां
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां – राजस्थान

– रेस्पो0

उपस्थित :–

श्री हेमराज नामदेव, अभिभाषक अपीलान्ट।

श्री, प्रकाश चन्द्र नामदेव, श्री नवीन भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 24-03-2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:38 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध फौती नामान्तरकरण नम्बर 246 ग्राम बीलखेडा माल तहसील शाहबाद दिनांक 15.05.1989

आदेश न्यायालय तहसीलदार शाहबाद

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.05.1989 ग्राम बीलखेडा माल को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

अपीलान्ट के दादाजी तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 7 के पिता व रेस्पोडेन्ट क्रम 8 के पति ओकार पुत्र देवीलाल कोम किराड साकिन बीलखेडा माल तहसील शाहबाद के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 9 खसरा नम्बर व रकबा क्रमशः 281 की 3.12 बीघा, 305 की 3.19 बीघा, 307 की 4.02 बीघा, 309 की 4.15 बीघा, 402 की 0.03 बीघा,406 की 0.14 बीघा, 420 की 0.05 बीघा, 427 की 0.06 बीघा, 453 की 0.17 बीघा, 455 की 0.17 बीघा, 467 की 0.07 बीघा,468 की 1.07 बीघा, 516 की 5.03 बीघा, 552 की 6. 11 बीघा, 560 की 9.03 बीघा, 753 की 6.19 बीघा, 761 की 16.02 बीघा, 765 की 8.02 बीघा, 770 की 7.00 बीघा, 805 की 2.10 बीघा, 816 की 3.11 बीघा, 864 की बीघा 0.06 बीघा, 884 की 2.00 बीघा, 885 की 1.10 बीघा, 886 की 2.14 बीघा, 887 की 2.09 बीघा, 891 की 0.16 बीघा, 894 की 1.16 बीघा, 899 की 2.04 बीघा, 903 की 3.04 बीघा तथा 904 की 0.12 बीघा कुल किता 31 कुल रकबा 103.16 बीघा हिस्सा 1/2 वाकेग्राम बीलखेडा माल पटवार क्षेत्र बीलखेडा माल तहसील शाहबाद में स्थित है। जिसे अपील में आगे विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। उक्त वर्णित आराजीयात के मूल खातेदार अपीलान्ट के दादाजी तथा रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 7 के पिता व रेस्पोडेण्ट क्रम 8 के पति ओकार पुत्री देवीलाल हिस्सा 1/2 तथा रेस्पोडेण्ट क्रम 9 व 10 के पिता प्रसादी लाल हिस्सा 1/2 अर्थात् हिस्सा बराबर से थे। जिसका दोनों खातेदारान ओकार तथा प्रसादीलाल ने अपने जीवनकाल में ही बंटवारा कर लिया था। अपीलान्ट के दादाजी खातेदार ओकार पुत्र देवीलाल ने मुताबिक बंटवारा अपनी उक्त वर्णित आराजीयात हिस्सा 1/2 में से खसरा नम्बर 307 रकबा 4.02 बीघा, खसरा नम्बर 307 रकबा 453 रकबा 0.17 बीघा, ख.नं. 468 रकबा 1.07 बीघा, ख.सं. 770 रकबा 7.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 899 रकबा 2.04 बीघा कुल रकबा 15.10 बीघा भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19.01.1988 को अपीलान्ट के हक में निष्पादित की है और कुल जायदाद व चल अचल समत्ति का अपीलान्ट को अपने जीवनकाल में एक मात्र मालिक घोषित किया गया है जिसके आधार पर उक्त वर्णित आराजीयज में रकबा 15.10 बीघा भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी ऐसा न कर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित आराजी प्रश्नगत नामान्तरकरण से अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेण्टस के नाम भी दर्ज कर दी, इस कारण नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी ओर बाला–बाला प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 18.03.2014 को हल्का पटवारी से के.सी.सी. बनवाने हेतु नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण का सर्व प्रथम ज्ञान अपीलान्ट को हुआ, सर्व प्रथम ज्ञान होते ही दिनांक 1903.2014 को हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर सर्व प्रथम ज्ञान से आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। पूर्व की डिले जानकारी के अभाव में क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई रेस्पोडेण्ट क्रम 5, 6 व 7 की ओर से इकवाली जबाव पेश कर कथन किया गया कि हमारे पिता और उनके भाई प्रसादीलाल ने उक्त आराजी का आधा–आधा बंटवारा कर लिया था और बंटवारे में प्राप्त अपने हिस्सा 1/2 को हमारे पिता ओकार ने अपीलान्ट के हक में वसीयत की है, जो सही है और हमारे पिता की अंमित इच्छा है अपीलान्ट के पिता मदन जो हमारे भाई थे को करीबन 30 वर्ष पूर्व डकैतों ने मार दिया था और अपीलान्ट की मां अन्यत्र नाते चली गई थी तब हमारे पिता ओकार ने ही अपीलान्ट को पालापोसा विवाह, शादी किये और सहानुभूति तथा स्नेहवश उक्त वर्णित भूमि 15.10 बीघा की वसीयत अपीलान्ट के हक में कर दी थी। शेष अपीलान्ट की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया। रेस्पोडेण्ट क्रम 5, 6 व 7 के बयान लेखबद्ध किये गये।

उभयपक्ष के विद्वान अ[illegible] पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अपीलान्ट की ओर से ओकारलाल पुत्र दे[illegible] किराड निवासी बीलखेडामाल तहसील शाहबाद द्वारा अपीलान्ट के हक में निष्[illegible] 1988 की प्रति पेश की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि ओ[illegible] अपनी [illegible] चल व अचन सम्पत्ति जिसमें आराजी खसरा नम्बर 307 रकबा 4.02 बीघा, [illegible] खसरा नम्बर 468 रकबा 1.07 बीघा, खसरा नम्बर 770 रकबा 7.00 बीघा तथा खसरा [illegible] 899 रकबा 2.04 बीघा कुल 15.10 बीघा भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:38 IST
Reason: SelfAttested

शामिल है की वसीयत दिनांक 19.01.1988 को अपीलान्ट के हक में पंजीयन कराई है। इस आधार पर उक्त 15.10 बीघा भूमि का अपीलान्ट वैद्य अधिकारी प्रतीत होता है, जो अपीलान्ट के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी, जिसकी पुष्टि रेस्पोडेण्ट क्रम 5, 6 व 7 ने भी की है।

उक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तकरण नम्बर 246 ग्राम बीलखेडा माल दिनांक 15.05.1989 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है की मृत खातेदार ओंकार पुत्र देवलाल द्वारा अपीलान्ट के हक में की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 19.01.1988 को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार जांच की जाकर पुनः नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालनार्थ तहसीलदार शाहबाद को निर्णय प्रति सहित पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:31:38 IST
Reason: SelfAttested